जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों की जानकारी

वर्ष 2018-2019

✦ मध्यप्रदेश, शासन ✦

विभाग का नाम	▶	**जेल विभाग**
प्रभारी मंत्री	▶	**सुश्री कुसुम सिंह महदेले** (03.07.2016 से 07.02.2018 तक)
	▶	**श्री अंतर सिंह आर्य** (07.02.2018 से 25.12.2018)
	▶	**श्री बाला बच्चन** (25.12.2018 से निरंतर)

✦ सचिवालय ✦

अपर मुख्य सचिव	▶	**श्री व्ही.सी. सेमवाल** (01.04.2016 से 18.01.2019 तक)
प्रमुख सचिव	▶	**श्री मलय श्रीवास्तव** (15.01.2019 से निरंतर)
सचिव	▶	**श्री राजीव चन्द्र दुबे** (14.07.2018 से निरंतर)
उप सचिव	▶	**श्री ललित दाहिमा** (27.02.2017 से 27.08.2018 तक)
अवर सचिव	▶	**श्री अजय नथानियल** (07.11.2016 से निरन्तर)
अनुभाग अधिकारी	▶	**श्री संतोष भार्गव** (24.12.2016 से निरन्तर)

✦ विभागाध्यक्ष कार्यालय ✦

जेल महानिदेशक	▶	**श्री संजय चौधरी** (06.09.2016 से निरन्तर)
अतिरिक्त जेल महानिदेशक	▶	**श्री सुधीर कुमार शाही** (03.11.2016 से निरन्तर)
	▶	**श्री जी. आर. मीना** (07.12.2016 से निरन्तर)
जेल उप महानिरीक्षक	▶	**डॉ. सुहेल अहमद** (13.07.2007 से निरन्तर)
	▶	**श्री संजय पाण्डे** (09.11.2015 से निरन्तर)
	▶	**श्री एम. आर. पटेल** (09.11.2015 से निरन्तर)

जेल विभाग, मंत्रालय की विभागीय संरचना

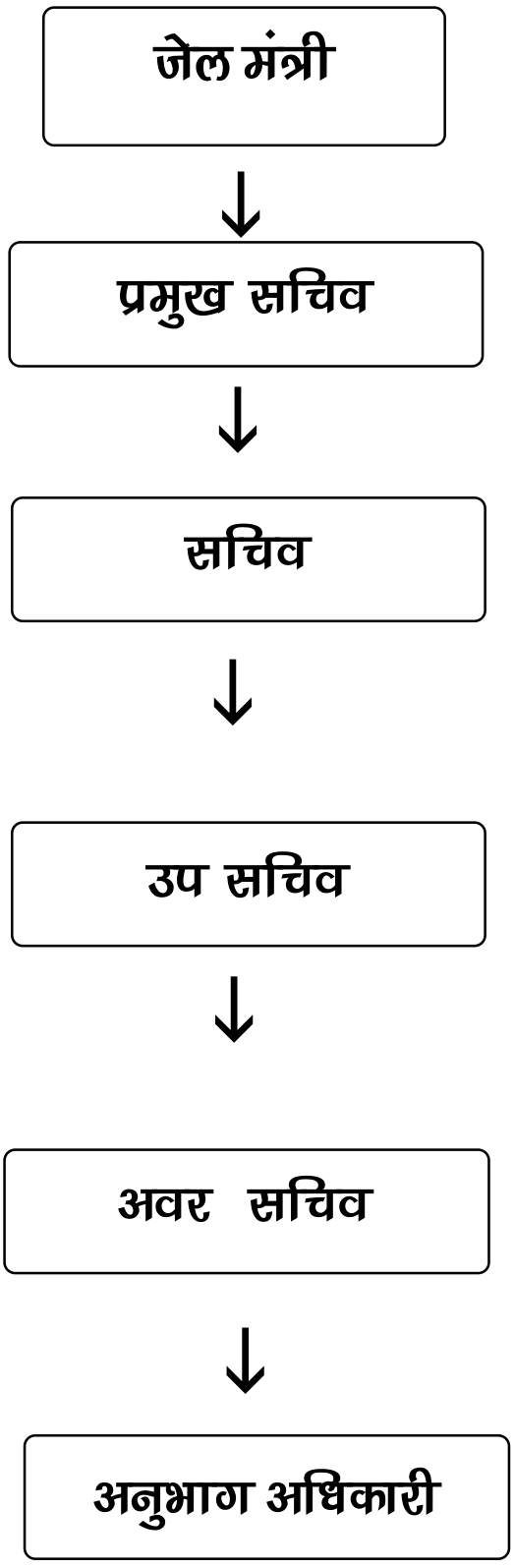

जेल मुख्यालय की विभागीय संरचना

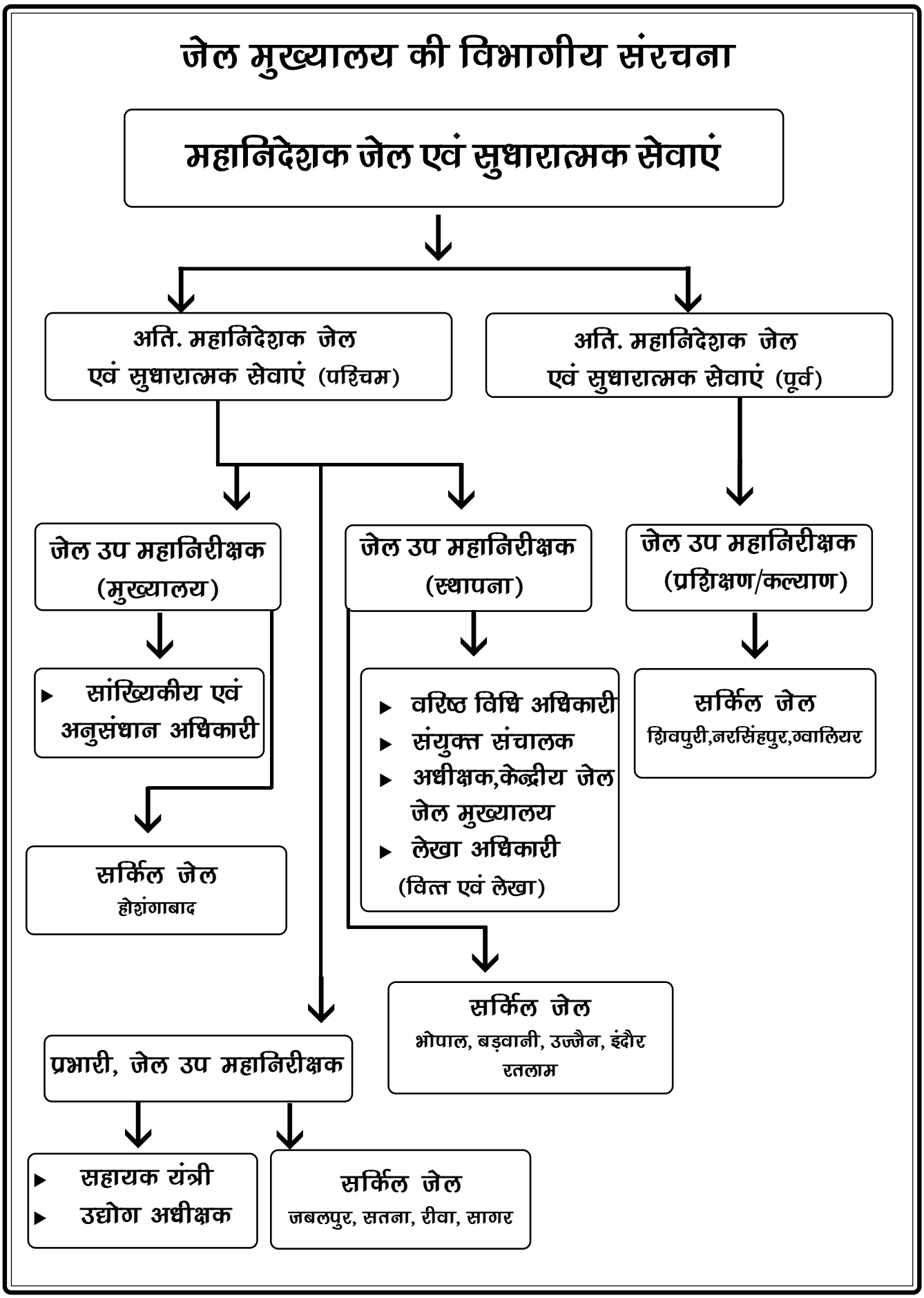

भाग – एक

1. विभागीय संरचना

1.1 विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना

जेल विभाग (मंत्रालय) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का कार्यालय जेल मुख्यालय के रूप में कार्यरत है।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेल) की जानकारी

विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन प्रदेश की केंद्रीय जेल इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सतना, उज्जैन, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद तथा जिला जेल, रतलाम एवं शिवपुरी सर्किल जेलें हैं। सर्किल जेलों के अधीक्षकों का दायित्व अपने अधीनस्थ जेलों एवं वहां पदस्थ कनिष्ठ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियत्रंण रखना है।

प्रदेश में स्थित केन्द्रीय जेलों, जिला जेलों, खुली जेलों एवं सब जेलों में बंदी आवास क्षमता 28601 है, जिसके विरूद्व वर्तमान में कुल 42057 बंदी परिरूद्व हैं। इनमें दंडित बंदी 18626, विचाराधीन बंदी 23123 एवं अन्य बंदी 308 हैं।

केन्द्रीय जेलें (11)

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी एवं होशंगाबाद।

जिला जेलें (41)

अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, धार, बैतूल, रतलाम, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, शाजापुर, सीधी, मंदसौर, मुरैना, बालाघाट, गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिंड, पन्ना, विदिशा, खरगौन, रायसेन, मंडला, कटनी, नीमच, अशोकनगर, श्योपुरकलां, बैढ़न, उमरिया, हरदा, डिंडोरी, आगर, अनूपपुर एवं भोपाल।

सब जेलें (73)

कन्नौद, गरोठ, जावरा, जोबट, तराना, नरसिंहगढ़, नागौद, पिपरिया, बुढ़ार, बेगमगंज, बिजावर, मंडलेश्वर, महिदपुर, मैहर, सबलगढ़, सरदारपुर, सिहोरा, सेंधवा, खाचरौद, पिछोर, अमरवाड़ा, मेहगांव, वारासिवनी, लवकुश नगर, बैहर, सिवनीमालवा, नसरूल्लागंज, सारंगपुर, सैलाना, बागली, देपालपुर, महू, लखनादौन, पाटन, कोलारस, गोहद, मुलताई, नौगांव, जावद, सांवेर, कसरावद, जतारा, जौरा, अम्बाह, निवाड़ी, डबरा, ब्यौहारी, करेरा, गौहरगंज, शुजालपुर, बरेली, हटा, लटेरी, गंजबासौदा, सेवड़ा, पोहरी, खुरई, सुसनेर, धरमपुरी, बड़वाह, मऊगंज, रहली, चाचौड़ा, बंडा, पवई, मनावर, लहार, बदनावर, महेश्वर, सोनकच्छ, विजयपुर, त्योंथर एवं बड़नगर।

- **खुली जेलें** — 05 होशंगाबाद, इंदौर, सागर, सतना, जबलपुर
- **क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान** — 01 भोपाल
- **जेल प्रशिक्षण केन्द्र** — 01 सागर

1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण (जेलों का सर्किलवार विवरण)

1. इंदौर सर्किल : (10)
1. केन्द्रीय जेल, इंदौर
2. जिला जेल, इंदौर
3. जिला जेल, धार
4. जिला जेल, खंडवा
5. खुली जेल, इंदौर
6. सब जेल, सरदारपुर
7. सब जेल, महू
8. सब जेल, देपालपुर
9. सब जेल, सांवेर
10. सब जेल, बड़वाह

2. बड़वानी सर्किल : (10)
1. केन्द्रीय जेल, बड़वानी
2. जिला जेल, अलीराजपुर
3. जिला जेल, खरगोन
4. सब जेल, जोबट
5. सब जेल, मंडलेश्वर
6. सब जेल, सेंधवा
7. सब जेल, कसरावद
8. सब जेल, धरमपुरी
9. सब जेल, मनावर
10. सब जेल, महेश्वर

3. उज्जैन सर्किल : (12)
1. केन्द्रीय जेल, उज्जैन
2. जिला जेल, शाजापुर
3. जिला जेल, देवास
4. जिला जेल, आगर
5. सब जेल, महिदपुर
6. सब जेल, तराना
7. सब जेल, बागली
8. सब जेल, सुसनेर
9. सब जेल, सोनकच्छ
10. सब जेल, शुजालपुर
11. सब जेल, कन्नौद
12. सब जेल, बड़नगर

4. ग्वालियर सर्किल : (13)
1. केन्द्रीय जेल, ग्वालियर
2. जिला जेल, मुरैना
3. जिला जेल, भिंड
4. जिला जेल, दतिया
5. सब जेल, अम्बाह
6. सब जेल, सबलगढ़
7. सब जेल, डबरा
8. सब जेल, गोहद
9. सब जेल, मेहगांव
10. सब जेल, लहार
11. सब जेल, जौरा
12. सब जेल, विजयपुर
13. सब जेल, सेवढ़ा

5. सागर सर्किल : (11)
1. केन्द्रीय जेल, सागर
2. जिला जेल, दमोह
3. जिला जेल, टीकमगढ़
4. खुली जेल, सागर
5. सब जेल, बेगमगंज
6. सब जेल, जतारा
7. सब जेल, निवाड़ी
8. सब जेल, हटा
9. सब जेल, खुरई
10. सब जेल, रहली
11. सब जेल, बंडा

6. नरसिंहपुर सर्किल : (8)
1. केन्द्रीय जेल, नरसिंहपुर
2. जिला जेल, छिंदवाड़ा
3. जिला जेल, सिवनी
4. जिला जेल, बालाघाट
5. सब जेल, बैहर
6. सब जेल, वारासिवनी
7. सब जेल, अमरवाड़ा
8. सब जेल, लखनादौन

7. जबलपुर सर्किल : (7)
1. केन्द्रीय जेल, जबलपुर
2. जिला जेल, मंडला
3. जिला जेल, कटनी
4. जिला जेल, डिंडोरी
5. खुली जेल, जबलपुर
6. सब जेल, पाटन
7. सब जेल, सिहोरा

8. भोपाल सर्किल : (10)
1. केन्द्रीय जेल, भोपाल
2. जिला जेल, भोपाल
3. जिला जेल, राजगढ़
4. जिला जेल, सीहोर
5. जिला जेल, रायसेन
6. जिला जेल, विदिशा
7. सब जेल, सारंगपुर
8. सब जेल, नरसिंहगढ़
9. सब जेल, लटेरी
10. सब जेल, गंजबासौदा

9. होशंगाबाद सर्किल : (10)
1. केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड अ)
   केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड ब)
2. खुली जेल, होशंगाबाद
3. जिला जेल, बैतूल
4. जिला जेल, हरदा
5. सब जेल, पिपरिया
6. सब जेल, सिवनीमालवा
7. सब जेल, मुलताई
8. सब जेल, नसरूल्लागंज
9. सब जेल, गौहरगंज
10. सब जेल, बरेली

10. सतना सर्किल : (10)
1. केन्द्रीय जेल, सतना
2. जिला जेल, छतरपुर
3. जिला जेल, पन्ना
4. खुली जेल, सतना
5. सब जेल, नागौद
6. सब जेल, बिजावर
7. सब जेल, लवकुश नगर
8. सब जेल, नौगांव
9. सब जेल, मैहर
10. सब जेल, पवई

11. रीवा सर्किल : (10)
1. केन्द्रीय जेल, रीवा
2. जिला जेल, शहडोल
3. जिला जेल, सीधी
4. जिला जेल, उमरिया
5. जिला जेल, बैढ़न
6. जिला जेल, अनूपपुर
7. सब जेल, व्यौहारी
8. सब जेल, बुढ़ार
9. सब जेल, मऊगंज
10. सब जेल, त्योंथर

12. शिवपुरी सर्किल : (9)
1. जिला जेल, शिवपुरी
2. जिला जेल, श्योपुर
3. जिला जेल, गुना
4. जिला जेल, अशोकनगर
5. सब जेल, करेरा
6. सब जेल, कोलारस
7. सब जेल, पिछोर
8. सब जेल, पोहरी
9. सब जेल, चाचौड़ा

13. रतलाम सर्किल : (10)
1. जिला जेल, रतलाम
2. जिला जेल, मंदसौर
3. जिला जेल, नीमच
4. जिला जेल, झाबुआ
5. सब जेल, जावरा
6. सब जेल, खाचरौद
7. सब जेल, जावद
8. सब जेल, बदनावर
9. सब जेल, गरोठ
10. सब जेल, सैलाना

1.4 विभाग के दायित्वः

1. विभाग का दायित्व न्यायालय द्वारा विभिन्न स्वरूप के कारावास से दंडित व्यक्ति को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर, उसकी दंडावधि को यथा सम्भव व्यावसायिक प्रशिक्षण काल में व्यतीत कराना तथा बंदियों की समुचित सुरक्षा, स्वास्थ्य, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नैतिक शिक्षा प्रदान कर उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि बंदी दंडावधि व्यतीत कर जेल से मुक्त होने पर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना शेष जीवन कानून प्रिय नागरिक की तरह व्यतीत कर सके।

2. न्यायालय द्वारा ऐसे विचाराधीन आरोपी जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु आदेशित किया जाता है, उन्हें अभिरक्षा में सुरक्षित रखकर निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना ।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारीः

1.5.1 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार :

(1) वर्ष 2018 में महानिदेशक जेल के आदेश से **आपात पैरोल** पर रिहा हुये बंदियों की संख्या **20** है।

(2) वर्ष 2018 में महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किये गये **पश्चातवर्ती अवकाश** प्रकरणों के अंतर्गत जेलों से अवकाश हेतु मुक्त किये गये बंदियों की संख्या **6158** है।

(3) वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर **158** बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।

(4) वर्ष 2018 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर **195** बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।

(5) वर्ष 2018 में राज्य परिवीक्षा मंडल की अनुशंसा अनुसार शासनादेशानुसार प्रोबेशन लायसेंस पर मुक्त हुए बंदियों की संख्या **निरंक** है।

1.5.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षणः

प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु **क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, भोपाल** में स्थापित है। प्रहरियों को प्रशिक्षण देने के लिए जेल **प्रशिक्षण केन्द्र सागर** में स्थापित है। इसके अतिरिक्त **मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी** तथा अन्य राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में भी जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। इस संबंध में म.प्र. पुलिस एवं केंद्रीय पैरामिलिट्री बलों से भी सहयोग प्राप्त किया गया।

जेल विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी से दिसम्बर की अवधि में निम्नानुसार अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किये गये :

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
(अ) दीर्घकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
– आधारभूत प्रशिक्षण (अधीक्षक/सहा. अधीक्षक/प्रहरी) (बी.एस.एफ. टेकनपुर, ग्वालियर)	05 माह	324
– आधारभूत प्रशिक्षण (प्रहरी) (केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बड़वाह जिला खरगौन)	05 माह	263
– आधारभूत प्रशिक्षण (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	05 माह	104
(ब) अल्पकालिक प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
– तेलंगाना, जेल विभाग	03 दिवस	10
– सी.डी.टी.आई, गाजियाबाद	05 दिवस	15

–	सी.डी.टी.आई., जयपुर	05 दिवस	05
–	जेल विभाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	03 दिवस	02
(स)	**अल्पकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)**		
–	आर्म्स प्रशिक्षण / रिफ्रेशर कोर्स (मुख्य प्रहरी / प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	10 दिवस	1012
–	कैप्सूल कोर्स (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	02 माह	100
–	आसूचना संकलन विषय पर प्रशिक्षण (मुख्य प्रहरी / प्रहरी) (क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)	02 माह	157
–	फाउन्डेशन कोर्स (आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल)		25
–	सी. ए. पी. टी. (बी.पी.आर.एण्ड डी. प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल	06 दिवस	09
(द)	**बी.पी.आर.एण्ड डी.,नई दिल्ली के सौजन्य से प्रशिक्षणों का आयोजन**		
–	Human Rights in Prison Management	––	36
–	Seeing Is Learning	––	25
–	Personality Development	––	25
–	Training of Trainers	––	25
–	Vertical Interaction on Prison Security	––	30
	योग		**2167**

1.5.3 जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग/सुरक्षा प्रबंधन/ई–पेशी

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार पेशियां वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से ही कराई जाएगी। इस व्यवस्था के लिए सभी जेलों एवं न्यायालयों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग सिस्टम / वीडियो कान्फ्रेसिंग कक्ष / नेट कनेक्टिविटी एवं तकनीकी कर्मचारी होना आवश्यक है। इस हेतु सभी जेलों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपकरण उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी जेलों पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों का निर्माण जेल विभाग द्वारा कराया जा चुका है। नेट कनेक्टिविटी स्वान के माध्यम से सभी जेलों पर उपलब्ध कराई जा चुकी है, तथा उपकरण के संचालन के लिए तकनीकी कर्मचारी का नियोजन किया जा चुका है। इस प्रकार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली पेशियों के लिए जेल विभाग द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाकर, ई–पेशी प्रारंभ की गई है।

1.5.4 ई–प्रिजन कार्यक्रम

प्रदेश की 37 केन्द्रीय, जिला एवं सब जेलों में ई–प्रिजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। एम.एच.ए. भारत सरकार द्वारा प्रथम चरण में इस कार्यक्रम हेतु राशि रूपये 230.00 लाख उपलब्ध कराई गई है। जेलों पर आई.सी.टी. सेटअप (हार्डवेयर) उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रत्येक केन्द्रीय जेल को कम्प्यूटर, प्रिंटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, वेबकैम, फिंगरप्रिंट स्कैनर उपलब्ध कराए गए हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर नियोजित कर प्रत्येक जेल को 01–01 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराया गया है।

सभी जेलों पर 9 माड्यूल्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसमें बंदी का समस्त विवरण फोटो, फिंगर प्रिंट, लंबित प्रकरणों का विवरण, पैरोल का विवरण, मुलाकातियों का विवरण एवं अस्पताल उपचार का विवरण दर्ज होगा। साथ ही विगत 10 वर्षों का legacy data डिजिटाईज्ड किया जा रहा

है। ई–प्रिजन कार्यक्रम के तहत ही National Database on Sexual offenders (NDSO) तैयार किया जाना है, जो नीति निर्धारित करने में उपयोगी होगा।

1.5.5 इलेक्ट्रिक फेंसिंग

जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रदेश की 11 केन्द्रीय जेलों में इलेक्ट्रिक फेंसिंग की स्थापना एम.पी.एस.ई.डी.सी. के माध्यम से की जा रही है। इलेक्ट्रिक फेंसिंग जेल की आऊटर वॉल के ऊपर स्थापित की जाएगी, जिसमें हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक वायर लगाये जायेंगे तथा इसमें विद्युत प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रिक फेंसिंग से सुरक्षा सुदृढ़ होगी।

1.5.6 विधिक सहायता

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं समय-समय पर माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली याचिकाओं में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु विधि अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

केन्द्रीय जेलों पर पदस्थ विधि अधिकारी ऐसे निर्धन बंदियों के आवेदन पत्रों को जो अधिवक्ता की फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत करते हैं, जहां से बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं, ताकि बंदियों को नियमों की जानकारी और विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। विगत वर्ष प्रदेश की जेलों में विधिक सहायता शिविर लगाकर 7395 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

1.5.7 स्वास्थ्य परीक्षण :

प्रदेश की जेलों में निरूद्ध होने वाले प्रत्येक बंदी का प्रतिमाह नियमित रूप से जेल पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतिमाह बंदियों के किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षणों के प्रतिवेदन आयोग द्वारा की गई अनुशंसानुसार जेलों से निर्धारित प्रपत्र में जेल मुख्यालय को प्राप्त होते हैं। वर्ष 2018 में कुल 4,79,111 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया।

1.5.8 जेलों में निरूद्ध बंदियों को पारिश्रमिक :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं समय-समय पर विभिन्न आयोगों द्वारा की गई अनुशंसा के परिपालन में सश्रम कारावास से दंडित बंदियों को जेलों में श्रम कार्यों में लगाया जाता है। मध्यप्रदेश शासन जेल विभाग के आदेश क्रमांक एफ 03–03/2012/3/जेल, दिनांक 07 जुलाई 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश की जेलों में परिरूद्ध बंदियों के सश्रम कारावास के दौरान किये गये कार्यों के लिये देय पारिश्रमिक की दरों को पुनरीक्षित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

क्रमांक	बंदियों की श्रेणी	पारिश्रमिक दर
1.	जेल उद्योग कार्य में लगे कुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 120.00

2.	जेल /उद्योग कार्य में लगे अकुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 72.00
3.	कृषि कार्य में लगे बंदियों के लिए (प्रति बंदी 06 घंटे के कार्य हेतु)	रुपये 72.00

पारिश्रमिक दरों को पुनरीक्षित करने हेतु आयोजित बैठक में यह प्रस्तावित किया गया था कि भविष्य में बंदियों की पारिश्रमिक राशि को समय–समय पर जारी मूल्य सूचकांक (**Price Index**) से जोड़ दिया जाये, जिससे पारिश्रमिक दर में स्वतः वृद्धि हो जायेगी, उक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अर्जित किये गये पारिश्रमिक में से 50 प्रतिशत राशि को सामान्य निधि में पीड़ित पक्ष को भुगतान किये जाने हेतु सुरक्षित रखा जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि बंदी के बैंक खाते में जमा की जाती है। सभी बंदियों की पारिश्रमिक राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में बंदी एवं जेल अधीक्षक के नाम पर संयुक्त खाते में जमा किया जाता है।

वर्ष 2018 में बंदियों को कुल रूपये **8,67,19,727** /– की पारिश्रमिक राशि प्रदाय की गई है।

1.5.9 बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा :

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों में बंदियों को बाहर से आने वाले दूरभाष (इनकमिंग फोन) की सुविधा प्रदान की गई है। यह सुविधा केन्द्रीय एवं जिला जेलों पर अच्छा आचरण रखने वाले दंडित बंदियों को, जिनकी सजा 10 वर्ष से अधिक अथवा आजीवन कारावास हो एवं उनका निवास केन्द्रीय जेल से 50 कि.मी. की सीमा के बाहर आता हो, दूरभाष की एक बार में अधिकतम वार्तावधि 05 मिनट के लिए प्रदान की जाती है। बंदियों को दूरभाष की सुविधा कार्यालयीन समय में प्रदान की जाती है। सुविधा का लाभ प्राप्त कर बंदी अपने परिवारजनों से दूरभाष पर वार्तालाप कर सकते हैं।

1.5.10 बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण :

बंदियों को ''कौशल विकास योजना'' के अंतर्गत केन्द्रीय जेल भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना, नरसिंहपुर, बड़वानी, रीवा एवं होशंगाबाद में विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास के अंतर्गत बंदियों को टेलरिंग, कारपेन्ट्री, बुनाई (हैंडलूम एवं पावरलूम), कुकिंग, प्रिंटिंग, खिलौने (गुड़िया) एवं स्टील बर्तन निर्माण में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

1.5.11 उद्योग, कृषि एवं उद्यान :

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों एवं कुछ जिला जेलों में जहाँ लम्बी सजा अवधि वाले बंदियों को रखा जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण सह उत्पादन के उद्देश्य से विभिन्न इकाईयाँ संचालित हैं।

प्रदेश की केन्द्रीय जेल ग्वालियर में बढ़ई, सिलाई, बुनाई, प्रिटिंग प्रेस, पावरलूम, लौहारी एवं कम्बल उद्योग में 254 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल उज्जैन के अंतर्गत केन्द्रीय जेल उज्जैन में पावरलूम, कम्बल, सिलाई, बुनाई, ऑफसेट प्रिटिंग, लौहारी, बढ़ई, मूर्ति, छपाई, ताना–बाना, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, टू–व्हीलर मैकेनिक एवं ट्रेक्टर मैकेनिक में 313 बंदियों , जिला जेल शाजापुर में बुनाई, सिलाई एवं फैब्रीकेशन उद्योग में 18 बंदियों एवं जिला जेल देवास में सिलाई, बढ़ई एवं लौहारी उद्योग में 11 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल सागर में सिलाई, बुनाई, बढ़ई, स्क्रीन प्रिटिंग एवं हथकरघा उद्योग में 442 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल रीवा के अंतर्गत केन्द्रीय जेल रीवा में बुनाई, प्रिटिंग प्रेस, बढ़ई, लौहारी, पावरलूम, हथकरघा, दरी बुनाई एवं सिलाई उद्योग में 302 बंदियों, जिला जेल शहडोल में सिलाई उद्योग में 03 बंदियों एवं जिला जेल बैढ़न में सिलाई, बढ़ई एवं लौहारी उद्योग में 10 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल नरसिंहपुर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर में काष्ठकला, फैब्रीकेशन, बुनाई, सिलाई, कम्बल, पावरलूम एवं प्रिटिंग प्रेस में 43 बंदियों एवं जिला जेल छिंदवाड़ा में सिलाई एवं लौहारी उद्योग में 16 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल इंदौर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर में लेदर, सिलाई, पावरलूम, बढ़ई, प्रिटिंग प्रेस, स्टील, वेल्डिग एवं बुनाई उद्योग निर्माण में 126 बंदियों, जिला जेल इंदौर में ब्लॉक प्रिटिंग, बेकरी, गमला, कृषि कार्य एवं जूट बैग उद्योग में 51 बंदियों एवं जिला जेल धार में ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्टर ट्रेड में 146 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल होशंगाबाद के अंतर्गत केन्द्रीय जेल होशंगाबाद में पावरलूम, बढ़ई, सिलाई, हेंडलूम एवं स्क्रीन प्रिटिंग में 54 बंदियों एवं जिला जेल बैतूल में ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्टर ट्रेड में 19 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल जबलपुर के अंतर्गत केन्द्रीय जेल जबलपुर में बुनाई, सिलाई, बढ़ई, लौहारी एवं ऑफसेट प्रिटिंग में 471 बंदियों, जिला जेल मण्डला में फर्नीचर मरम्मत, सिलाई, ब्यूटीपार्लर एवं अगरबत्ती उद्योग में 58 बंदियों एवं जिला जेल डिण्डोरी में सिलाई उद्योग में 9 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल सतना में बढ़ई, स्क्रीन प्रिटिंग, सिलाई, बुनाई, कम्बल एवं बांस उद्योग में 366 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल बड़वानी में पावरलूम, सिलाई, बढ़ई, स्क्रीन प्रिटिंग, फैब्रीकेशन एवं इलेक्ट्रिक बाईंडिंग उद्योग में 34 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

सर्किल जेल शिवपुरी के अंतर्गत जिला जेल श्योपुर में सिलाई उद्योग में 15 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

केन्द्रीय जेल भोपाल में बढ़ई, सिलाई, वेल्डिंग, प्रिटिंग प्रेस, चप्पल, हैंडमेड पेपर, पावरलूम, गुड़िया, कशीदाकारी, कम्बल, चित्रकला एवं कृषि उद्योग में 2953 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार प्रदेश की जेलों में वर्ष 2018 में 5714 बंदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदेश की जेलों में वर्ष के दौरान कृषि एवं बागवानी से कुल रूपये 18,00,936/– एवं जेल उद्योगों से रूपये 2,48,33,098/– का राजस्व प्राप्त हुआ।

1.5.12 बंदियों की आधुनिक मुलाकात व्यवस्थाः

प्रदेश की 55 जेलों में मुलाकात इन्टरकॉम एवं टफेन्डग्लास माध्यम से कराई जा रही है एवं 08 जेलों में मुलाकात व्यवस्था की कार्यवाही लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस सुविधा का

विस्तार अन्य जेलों में भी किया जाएगा, ताकि सभी बंदियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से बंदियों की मुलाकात की पात्रता तय की जाती है।

1.5.13 जेलों में आई. टी. आई. की स्थापना :

प्रदेश की जेलों में नेशनल कांउसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एन.सी.वी.टी.) के मापदंड अनुसार केन्द्रीय जेल, उज्जैन, भोपाल, जिला जेल बैतूल एवं धार में आई.टी.आई. की स्थापना की गई है।

केन्द्रीय जेल उज्जैन में पुरूष बंदियों हेतु 04 ट्रेडों (इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, टू–व्हीलर मैकेनिक एवं ट्रैक्टर मैकेनिक) में 47 बंदियों, जिला जेल बैतूल में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 19 बंदियों एवं जिला जेल धार में 03 ट्रेडों (ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन एवं कारपेन्ट्री ट्रेड) में 146 बंदियों को प्रशिक्षण दिया गया। केन्द्रीय जेल भोपाल में महिला बंदियों हेतु 04 ट्रेड (ओल्ड एज केयर, कटिंग एवं सिलाई, एम्ब्रॉयडरी एण्ड नीडल वर्क एवं बेसिक कास्मेटोलॉजी ट्रेड) स्थापित किये गये हैं।

1.5.14 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा:

इन्दिरा गाँधी विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश की केन्द्रीय जेल भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, बड़वानी, रीवा, सागर, नरसिंहपुर, सतना, होशंगाबाद, जबलपुर, जिला जेल रतलाम, शहडोल, सिवनी एवं छिंदवाड़ा में निःशुल्क अध्ययन केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू के माध्यम से बैचलर प्रिपेरेटरी प्रोग्राम (बी.पी.पी.), बैचलर डिग्री प्रोग्राम (बी.डी.पी.), सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेन्ट (सी.आर.डी.), सर्टिफिकेट इन फूड एण्ड न्यूट्रीशन (सी.एफ.एन), सर्टिफिकेट इन एच.आई.व्ही. एण्ड फैमिली एजुकेशन (सी.ए.एफ.ई), बी.ए, बी.कॉम., एम.ए. एवं एम.बी.ए. के कोर्स संचालित हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू की ओर से पाठ्यसामग्री व प्राध्यापक उपलब्ध कराये जाते हैं। वर्ष 2018 के दौरान इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में 2205 परीक्षार्थी (बंदी) शामिल हुए।

1.5.15 बंदियों को शैक्षणिक सुविधा:

प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा है। जेल विभाग द्वारा समस्त निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षायें चलाई जाती हैं। पहले से शिक्षित बंदियों को आगे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है और पूर्ण सहयोग दिया जाता है। जो बंदी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मलित कराया जाता है तथा समस्त व्यय एवं पुस्तकें विभाग द्वारा प्रदाय की जाती हैं। प्रदेश की जेलों में बंदियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक/सहायक शिक्षक के 62 पद स्वीकृत हैं, जिसके विरूद्ध 57 पद भरे हैं। वर्ष 2018 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में 2705 बंदियों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा हिन्दी राष्ट्र भाषा परीक्षा में 341 बंदी शामिल हुए। वर्ष 2018 में 9170 दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को साक्षर बनाया गया।

— *** —

विशेष कार्यक्रम

1.5.16 सांस्कृतिक कार्यक्रमः

प्रदेश की जेलों में वर्ष 2018 में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समय–समय पर बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किये गये। प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैंः–

- केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 03.09.2018 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित झाँकी प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, जेल मंत्री एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए।

- प्रदेश की जेलों में ईद–उल–फितर के अवसर पर परिरूद्ध मुस्लिम धर्मावलम्बी बंदियों को सामूहिक नमाज सम्पन्न कराई गयी, रक्षा बंधन के अवसर पर जेल में परिरूद्ध बंदियों को उनकी बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया एवं दीपावली के त्योहार पर बंदियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

- केन्द्रीय जेल भोपाल, सतना एवं नरसिंहपुर में इन हाउस रेडियो स्टेशन (जेलवाणी) द्वारा निरंतर प्रसारण किया जा रहा है।

1.5.17 आध्यात्मिक कार्यक्रम :

प्रदेश की जेलों में बंदियों के बौद्धिक विकास एवं नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1.5.18 योग प्रशिक्षणः

प्रदेश की जेलों में बंदियों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के उद्देश्य से बंदियों हेतु प्रतिदिन योगाभ्यास एवं समय–समय पर योग शिविरों का आयोजन किया गया।

1.5.19 प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थितिः

प्रदेश की केन्द्रीय जेल–भोपाल, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन एवं नरसिंहपुर तथा जिला जेल–शाजापुर एवं देवास की गौशालाओं में 1654 गोवंश उपलब्ध है।

1.6 विभाग की प्राथमिकताएं :

1. बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन।
2. आवश्यक बुनियादी ढ़ाँचे में सुधार के उद्देश्य से पुनर्संरचना।
3. जेलों में अतिसंकुलता दूर करने के लिए बंदी आवास क्षमता में वृद्धि।
4. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही करना।
5. बंदियों के सामाजिक पुनर्स्थापन हेतु आजीविका मूलक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार करना।
6. जेल कर्मचारियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार करना।
7. बंदियों एवं कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा, पाकशाला, स्वच्छता, जल–प्रबंध, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेल वातावरण में सुधार करना।
8. बंदियों के मानव अधिकारों का संरक्षण।
9. बंदियों के विभिन्न तनावों को दूर करने हेतु प्रशिक्षण/सलाह देकर उनके जेल प्रवास को यथासम्भव तनावमुक्त एवं सुधारोन्मुख बनाना।

महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.7.1 जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरूद्ध बंदियों की संख्या :

(दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में)

क्र.	जेल श्रेणी	संख्या	आवास क्षमता			परिरूद्ध बंदियों की संख्या		
			पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	केन्द्रीय जेल	11	13138	688	13826	21108	885	21993
2.	जिला जेल	41	8703	706	9409	12970	624	13594
3.	खुली जेल	05	82	—	82	66	—	66
3.	सब. जेल	73	4890	394	5284	6404	—	6404
	योग	130	26813	1788	28601	40548	1509	42057

1.7.2 विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण :

क्र.	विवरण	परिरूद्ध बंदियों की संख्या		
		31 दिसम्बर 2016	31 दिसम्बर 2017	31 दिसम्बर 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परिरूद्ध बंदियों की संख्या	37649	38708	42057
2.	क्षमता से अधिक बंदियों का प्रतिशत	36.03	37.13	47.05

1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण :

क्र.	विवरण	31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2018 की स्थिति में		
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	दंडित बंदी	16232	612	16844	16622	651	17273	17913	713	18626
2.	विचाराधीन बंदी	19921	697	20618	20537	731	21268	22329	794	23123
3.	अन्य बंदी	187	00	187	167	00	167	306	02	308
	योग	36340	1309	37649	37326	1382	38708	40548	1509	42057

1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण :

क्र.	उम्र	31 दिसम्बर 2016			31 दिसम्बर 2017			31 दिसम्बर 2018		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	18 वर्ष से 21 वर्ष	3678	53	3731	4268	93	4361	4852	69	4921
2.	21 वर्ष से 30 वर्ष	14679	379	15058	14812	439	15251	15367	395	15762
3.	30 वर्ष से 50 वर्ष	14641	679	15320	15015	637	15652	15262	712	15974
4.	50 वर्ष से अधिक	3342	198	3540	3231	213	3444	5067	333	5400
	योग	36340	1309	37649	37326	1382	38708	40548	1509	42057

भाग – दो

2.1 बजट सिंहावलोकन

जेल विभाग में प्रत्येक खर्च अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में कम अथवा स्थगित नहीं किया जा सकता है, जैसे – बंदियों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य खर्च, बंदियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं जो निश्चित धनराशि पर निर्धारित नहीं है अपितु इनका स्केल निर्धारित है। नियमों के अधीन बंदियों के लिए खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। जेल के अंदर प्रविष्ट होने वाले बंदियों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है एवं आन्दोलन आदि के कारण जेलों पर बंदियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से व्यय भी बढ़ जाता है।

2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्ययः-

पिछले सालों में जेल विभाग का **बजट प्रस्ताव राशि, स्वीकृत बजट प्रावधान** तथा **वास्तविक व्यय** निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः

(रूपये लाखों में)

वर्ष	प्रस्तावित बजट प्रावधान	स्वीकृत बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक (+) बचत (–)
1	2	3	4	5
2014–2015	24009.41	24009.41	22497.18	(–) 1512.23
2015–2016	29187.36	28741.62	25871.81	(–) 2869.81
2016–2017	35659.65	34235.82	30355.79	(–) 3880.03
2017–2018	41528.61	29736.27	29268.67	(–) 467.60
2018–2019	36129.26	34006.85	24607.42	(31.12.2018 की स्थिति में)

वर्ष 2018–2019 के लिये प्राप्त बजट में से विभिन्न मदों में व्यय राशि की जानकारी दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में निम्नानुसार हैः

क्र. मद	**व्यय राशि (रूपये में)**
1. वेतन, भत्ते आदि	1564418946
2. कार्यालय व्यय	87723747
3. सफाई	60060442
4. विशेष सेवाओं हेतु मानदेय (बंदी पारिश्रमिक)	71826850
5. स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण (भवन मरम्मत)	61675940
6. वाहन (मरम्मत)	1306039
7. दवाईयां क्रय	45604932
8. राशन का मूल्य (भोजन व्ययं)	459900082
9. कपड़े, बिस्तर तथा टेंट्स	31771758
10. अन्य प्रभार (बंदी परिवहन, परीक्षा, प्रशिक्षण मदों में)	7145477
11. अन्य शेष मदों में	69307835
योग	**2460742048**

भाग – तीन
राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएंः

वार्षिक योजना 2018–2019

वार्षिक योजना 2018–19 में शीर्ष 5044 के तहत प्रदेश की जेलों में बूम बैरियर, ताले, बैटन, सायरन, पी.ए. सिस्टम, आटो एनालाईजर, बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर, एक्यू चैक (शुगर जांच), वेट मशीन (डिजीटल), व्हील चेयर, एसी, इंटरकॉम, फैक्स मशीन मल्टीफंक्शन, डिजिटल माईक सिस्टम, कलर प्रिंटर, बायोमेट्रिक डिवाईस, कम्प्यूटर, इंटरकॉम सिस्टम (मुलाकात 01 टोन), फ्रिज (250 लीटर), आटा गूंथने की मशीन (40 किलोग्राम), ई–रिक्शा एवं जनरेटर 05 के.बी. उपलब्ध कराई गई।

वार्षिक योजना 2018–19 में शीर्ष 5048 के तहत प्रदेश की जेलों में पावरलूम उद्योग हेतु हैवीड्यूटी पावरलूम, वार्पिंग मशीन, बाविंग मशीन, काडी मशीन, पर्न वाईंडिंग मशीन, जिनिंग मशीन, कम्बल प्रोसेसिंग मशीन, हैण्ड लूम उद्योग हेतु हैण्डलूम लकड़ी, हैण्डलूम स्टील, हैण्डलूम (कम्बल हेतु), कारपेंट्री उद्योग हेतु कटर मशीन विथ मोटर, वुड प्लेनर मशीन (रून्दा), प्लाइ कटर मशीन, सिलाई उद्योग हेतु सिलाई मशीन अम्ब्रेला विथ मोटर एण्ड पेडल, हैण्ड टूल्स, चप्पल उद्योग हेतु चप्पल शीट कटिंग मशीन, चित्रकला उद्योग हेतु कम्प्रेशन मशीन, हैण्ड टूल्स, फैब्रीकेशन उद्योग (लौहारी) हेतु ड्रिल मशीन, मोल्डिंग मशीन, जिगसा मशीन, ग्राइंडर मशीन 4 इंच, हैण्ड टूल्स, वेल्डिंग मशीन, स्टील बर्तन उद्योग हेतु प्रेशर मोल्डिंग मशीन, लेथ मशीन, पॉलिशिंग मशीन, हैण्ड टूल्स, डाई लेदर उद्योग हेतु लेदर सिलाई मशीन, लेदर कटिंग मशीन एवं लेदर कटिंग एण्ड डिजाईनिंग मशीन उपलब्ध कराई गईं।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएंः

केन्द्र परिवर्तित योजनाएं, विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही योजनाएं, विदेश सहायता प्राप्त योजनाएं / परियोजनाओं तथा अन्य योजना की जानकारी निरंक है।

राज्य योजना :

1. जिला जेल अनूपपुर, शिवपुरी, सब जेल बुढ़ार, बड़नगर एवं त्योंथर का कार्य पूरा कराकर प्रारंभ किया गया।
2. केन्द्रीय जेल, सागर, जबलपुर तथा जिला जेल, इंदौर के भवनों में सुधार कर खुली जेलें स्थापित की गई हैं। खुली जेल सतना का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर उसे भी प्रारंभ किया जा चुका है। केन्द्रीय जेल भोपाल परिसर में उपलब्ध भवन में खुली जेल स्थापना हेतु सुधार कार्य प्रगतिरत है।
3. प्रदेश की जेलों में प्रावधानित राशि रूपये 2.00 करोड़ से पेयजल एवं सैनीटेशन कार्य कराये जा रहे है।
4. पर्सपेक्टिव प्लान के तहत भिण्ड में निर्माणाधीन जिला जेल का कार्य पूरा कराया जा रहा है।
5. जेलों में सुधार निर्माण कार्य के लिए लोक निर्माण विभाग बजट में राशि रूपये 20.00 करोड़ प्रावधानित की गयी, जिससे गार्डरूम, सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम, अण्डा सेल, बैरक्स आदि के कार्य जेलों में कराये जा रहे हैं।

3.3 **अन्य योजनाएं :–**

प्रतिकर योजना :

जेल विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई, अपराधों के पीड़ित परिवारों को प्रतिकर राशि देने की योजना प्रशासन की अभिनव योजना है, जिसके अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराये गये काम के बदले दी जाने वाली कुल मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि एक पृथक सामान्य निधि बनाकर कलेक्टर एवं जेल अधीक्षक के संयुक्त खाते में कोषालय में जमा की जा रही है। इस सामान्य निधि की राशि का उपयोग पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिकर दिये जाने में किया जाता है। शासन द्वारा पीड़ित की पात्रता का निर्धारण एवं संबंधित परिवार को प्रतिकर की राशि वितरित करने के लिए जेलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक–सदस्य एवं संबंधित जेल अधीक्षक–सदस्य सचिव बनाये गये हैं। शासन के आदेशानुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एवं चिन्हित धाराओं, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, के बंदियों से संबंधित पीड़ित परिवार के सभी उत्तराधिकारियों को समान अनुपात में प्रतिकर की राशि देय होगी। वर्ष 2018 में प्रदेश की जेलों में प्रतिकर राशि रूपये 1,22,80,000/– पीड़ित परिवारों हेतु स्वीकृत की गई है।

***

भाग – चार
सामान्य प्रशासनिक विषय

1. जांच समिति / आयोगः

जेल विभाग में वर्ष 2018–19 में किसी भी प्रकार की जांच समिति गठित नहीं हुई है।

2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

(अ) बंदियों से संबंधितः जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण – 21
प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ – 13

(ब) कर्मचारियों से संबंधितः जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण – 32
प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ – 22

(स) विभागीय जांचः

पूर्व वर्ष के लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष
34	**72**	**48**	**58**

भाग – पांच
अभिनव प्रयास

5.1 अभिनव प्रयास

1 जेलों की सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरणः–

जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान देते हुए, जेलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, कंट्रोल रूम बनाने, इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग करने, वॉच टावर तथा गार्ड रूम बनाने, हाईमास्ट से प्रकाश करने के अभिनव कार्य स्वीकृत किए गए।

2. जेल कर्मियों को प्रभावी प्रशिक्षण :–

म0प्र0 जेल विभाग में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण संस्थान का अभाव है जबकि वर्दीधारी सुरक्षा विभाग में निरन्तर सजगता, सतर्कता, अनुशासन एवं अद्यतन तकनीकी ज्ञान के साथ शारीरिक, मानसिक रूप से स्फूर्तिवान होना अनिवार्य आवश्यकता है।

अतः प्रभावी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया। नवनियुक्त जेल अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों एवं जेल प्रहरियों को बी.एस.एफ. टेकनपुर, बड़वाह एवं जेल प्रशिक्षण संस्थान में प्रभावी शारीरिक एवं शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3. जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह का प्रावधान :–

म0प्र0 जेल विभाग में सकारात्मक कार्यों के प्रोत्साहन हेतु कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था नहीं थी। अतः जेल कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करने एवं मनोबल वृद्धि के उद्देश्य से शासन से स्वीकृति प्राप्त कर ''जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह'' प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो एक रचनात्मक एवं सकारात्मक पहल है।

4. कल्याण कोष की स्थापना :–

जेल विभाग के लगभग दस हजार जेल कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शासन स्वीकृति प्राप्त कर जेल कल्याण कोष की स्थापना जेल मुख्यालय एवं प्रत्येक इकाई पर की गई है। इसमें प्रतिवर्ष जेल कर्मी अपने वेतन का 1 प्रतिशत अंशदान देकर सदस्य बनेंगे तथा शासकीय योगदान के रूप में एक बार रूपये 50 लाख प्राप्त किये जायेंगे। इस कोष से जेल कर्मियों एवं परिजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोरंजन आदि से संबंधित कार्यक्रम चलाये जा सकेंगे।

5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान :

मध्यप्रदेश की विभिन्न जेलों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आठवीं कक्षा तक की शिक्षा के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए बंदियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष स्नातक के 757, स्नातकोत्तर के 89, प्राथमिक शिक्षा के 799, माध्यमिक शिक्षा के 291, उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडियेट के 769, कुल 2705 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य शिक्षा मिशन के माध्यम से प्रदेश की जेलों में साक्षरता अभियान शुरू किया गया, वर्ष 2018 में 9170 बंदी सर्वशिक्षा अभियान के तहत लाभान्वित हुए हैं।

5.3. आगामी योजनाएं :–

(1) जेल नियमावली के प्रावधान अनुसार जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से जेल कर्मियों का जेल परिसर में निवास करना आवश्यक है। जेल कर्मी शासकीय आवासों की कमी के कारण जेल परिसर के बाहर निवास करते हैं। अतः प्रावधानों के विपरीत इस परिस्थिति को समाप्त करने हेतु शासकीय आवास निर्माण योजना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(2) खुली जेलों का निर्माण :–

प्रदेश की जेलों में बंदियों की ओवर क्राउडिंग कम करने, बंदियों को सामाजिक पुनर्स्थापन में सहायता करने तथा शासन के वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से 10 खुली जेलों को प्रारंभ करने की योजना बनाई गई थी जिसमें से 04 खुली जेलें खुली जेल इंदौर, सागर, जबलपुर एवं सतना प्रारंभ की जा चुकी हैं, अन्य की कार्यवाही प्रचलन में है।

(3) जेल चिकित्सक संवर्ग की स्थापना :–

प्रदेश की जेलों में जेल चिकित्सकों के 57 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरूद्ध मात्र 06 पद ही भरे हुए हैं, शेष 51 पद रिक्त हैं। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग स्वयं चिकित्सकों की कमी से परेशान है। अतः स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर जेलों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इस गंभीर समस्या के निदान हेतु जेल चिकित्सक संवर्ग निर्माण एवं पद पूर्ति का प्रस्ताव शासन को अग्रेषित किया गया है।

5.4 मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई महिला नीति के अंतर्गत जेल विभाग ने महिलाओं के लिए निम्नानुसार कार्य किए हैं :

5.4.1 महिला कैदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण :

जेल में सजा काट रही महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(i) केन्द्रीय जेल भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, ग्वालियर एवं रीवा तथा जिला जेल मंदसौर, नीमच, बैतूल, इन्दौर, धार, गुना, सिवनी, कटनी एवं शिवपुरी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, गुड़िया, राखी उद्योग एवं सेनेटरी पेड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 652 महिलाओं ने प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया।

5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता:

कुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 110 रूपए एवं अकुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 62 रूपए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

5.4.3. महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजना :

महिला बंदियों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिला बंदियों को विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे गुड़िया बनाना, कशीदाकारी, अगरबत्ती बनाना, फ्लावर मेकिंग, लिफाफा निर्माण, ब्यूटी पार्लर एवं एम्ब्रायडरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.4.4. महिला बंदियों के लिए शिक्षा :

प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों को प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर तक विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है । निरक्षर महिला बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा पुस्तकों एवं स्टेशनरी आदि की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में 191 महिला बंदी शामिल हुईं एवं 461 महिला बंदियों को साक्षर बनाया गया है।

5.4.5. महिला बंदियों के लिये विशेष परिहार:

प्रदेश की जेलों में परिरूद्ध दंडित महिला बंदियों के लिये अच्छे आचरण एवं दिये गये कार्य को पूर्ण करने पर प्रतिमाह छः दिन की माफी दी जा रही है, साथ ही पूरे वर्ष में अच्छे आचरण पर G.C.R. (जेल नियमावली के नियम 706–अच्छे आचरण की माफी) के अंतर्गत अधीक्षक/उप अधीक्षक /सहायक अधीक्षक द्वारा एक माह की माफी दी जाती है।

***

भाग – छः

जानकारी निरंक है।

भाग – सात
सारांश

जेल विभाग अपने मुख्य दायित्व, बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्वहन करने के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में उन्हें विविध सेवाएं प्रदान कर समाजोपयोगी बनाने में सतत प्रयत्नशील है।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के सुधार और तनाव को कम करने के उद्देश्य से योग एवं विभिन्न सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाया गया है और पहले से शिक्षित बंदियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। विभाग द्वारा जेलों की आवास क्षमता में वृद्धि के प्रयास सतत रूप से किए जा रहे हैं तथा परिरूद्ध बंदियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही जेल कर्मियों को सुरक्षा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जेल विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से बंदियों के आचरण एवं उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनको दी जा रही शिक्षा एवं विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वे जेल से रिहा होने पर समाज में अच्छे नागरिक की तरह पुनर्वासित हो रहे हैं।

मध्यप्रदेश शासन

जेल विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2018–19

सजग, सुरक्षा, सावधान

विभागीय

प्रशासकीय

प्रतिवेदन

वर्ष 2018-2019

जेल विभाग, मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारी**	1
2.	**भाग–एक**	
	1. विभागीय संरचना	2–14
	1.1 विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना	
	1.2 अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेलों) की जानकारी	
	1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण	
	1.4 विभाग के दायित्व	
	1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी	
	1.5.1 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार	
	1.5.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण	
	1.5.3 जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ सी.सी.टी.व्ही. की सुविधा	
	1.5.4 ई–प्रिजन कार्यक्रम	
	1.5.5 इलेक्ट्रिक फेंसिंग	
	1.5.6 विधिक सहायता	
	1.5.7 स्वास्थ्य परीक्षण	
	1.5.8 जेलों में निरूद्ध बंदियों को पारिश्रमिक	
	1.5.9 बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा	
	1.5.10 बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण	
	1.5.11 उद्योग, कृषि एवं उद्यान	
	1.5.12 बंदियों की आधुनिक मुलाकात व्यवस्था	
	1.5.13 जेलों में आई.टी.आई. की व्यवस्था	
	1.5.14 इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा	
	1.5.15 बंदियों को शैक्षणिक सुविधा	
	1.5.16 सांस्कृतिक कार्यक्रम	
	1.5.17 आध्यात्मिक कार्यक्रम	
	1.5.18 बंदियों को योग प्रशिक्षण	
	1.5.19 प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति	
	1.6. विभाग की प्राथमिकताएं	
	1.7. महत्वपूर्ण सांख्यिकी	
	1.7.1 जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरूद्ध बंदियों की संख्या	
	1.7.2 विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण	
	1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण	
	1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण	

3 भाग–दो **15**

2.1 बजट सिंहावलोकन

2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय

4. भाग–तीन **16–17**

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1. राज्य योजनाएं

3.2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.3 अन्य योजनाएं

5. भाग–चार **18**

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. जांच समिति / आयोग

2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति

6. भाग–पांच **18–20**

अभिनव प्रयास

5.1. अभिनव प्रयास

5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान

5.3. आगामी योजना

5.4. मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य

5.4.1 महिला बंदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण

5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता

5.4.3 महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजना

5.4.4 महिला बंदियों के लिए शिक्षा

5.4.5 महिला बंदियों के लिए विशेष परिहार

7. भाग–छः **21**

विभाग के प्रकाशन

8. भाग–सात **21**

सारांश